छततीसगढ़ उच्च न्यायालय

रिट याचिका (एस) क्रमांक 15 वर्ष 2011

भूपिन्द्र सिंह, उम्र– लग. 40 वर्ष, पिता– श्री सत्य प्रकाश सिंह,
तत्कालीन शिक्षाकर्मी ग्रेड– 3, शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम–बरकेला, पोस्ट एवं तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया,
पता– पुरानी बस्ती, वार्ड क्रमांक 05, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.)

.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छ.ग. राज्य, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.),
2. कलेक्टर, जिला–कोरिया (छ.ग.),
3. अपर कलेक्टर, जिला–कोरिया (छ.ग.),
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मनेन्द्रगढ़ जिला–कोरिया (छ.ग.),
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.)

.....उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से – सुश्री दीक्षा गौरहा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 01 से 03 राज्य की ओर से श्री रवि कुमार भगत, शासकीय अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 04 एवं 05 की ओर से सुश्री प्रकृति जैन अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

आदेश दिनांक– 30.07.2021

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.12.2010 के आदेश की वैधानिकता, वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की शिक्षाकर्मी ग्रेड–3 के पद पर सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीक्षा गौराहा ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति शिक्षाकर्मी ग्रेड–3 के

पद पर दिनांक 17.06.2005 (अनुलग्नक पी–2) को हुई थी तथा तत्पश्चात उनकी सेवाएं रूपये– 3,800–100–5,800/–के वेतनमान में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात शिक्षाकर्मी ग्रेड–3 के रिक्त पद पर दिनांक 05.06.2010 (अनुलग्नक पी–3) के आदेश द्वारा नियमित की गई थी, किंतु दिनांक 16.12. 2010 (अनुलग्नक पी–1) के आक्षेपित आदेश द्वारा उनकी सेवाएं यह कहते हुए समाप्त कर दी गई है कि उनका निवास प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 14.12.2010 को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर नियमित शिक्षाकर्मी ग्रेड–3 था और इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 (संक्षेप में, '1997 के नियम') के नियम 9 के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासननिक स्थायी समिति होगी, जैसा भी मामला हो और इसलिए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति होगी, लेकिन याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पारित किया गया है, जो आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। संक्षेप में नियम 2007 के अनुसार जो दिनांक 30.11.2007 अन्यथा भी, छत्तसीगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2007 से प्रभावी हुआ, स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है तथा उक्त नियम 2007 के नियम 10 के अंतर्गत भी, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक सीायी समिति वृहद दण्ड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगी, अतः उत्तरवादी क्र. 05– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़ द्वारा पारित बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र एवं विधि के प्राधिकार से रहित है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्र. 01 से 03 राज्य की की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार भगत ने रिट याचिका का विरोध किया और उत्तरवादी क्र. 05 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया गया।

5. उत्तरवादी क्र. 04 एवं 05 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रकृति जैन ने भी रिट याचिका का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का निवास प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2010 के द्वारा निरस्त किया गया है, अतः उसकी

नियुक्ति का आदेश उत्तरवादी क्र. 05 द्वारा उचित रूप से निरस्त किया गया है तथा ऐसा मामला नहीं है जहां नियम 1997 के नियम 9 अथवा नियम 2007 के नियम 10 के अंतर्गत पूर्ण विभागीय जांच के पश्चात याचिकाकर्ता पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़, उत्तरवादी क्र. 05 द्वारा की गई थी। अतः उसे उत्तरवादी क्र. 05 द्वारा उचित रूप से बर्खास्त किया गया है और इस प्रकार रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके उपरोक्त प्रतिद्वन्दी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

7. याचिकाकर्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति के संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 05.06.2005 की अनुशंसा पर आदेश दिनांक 17.06.2005 द्वारा नियुक्त किया गया था, इस प्रकार उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ द्वारा जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़ की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति के अनुमोदन पर नियुक्त किया गया था, किंन्तु उसे सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अब प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 05 याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के लिए सक्षम था।

9. इसके लिए वाद के निर्णय हेतु दिनांक 01.01.1998 को लागू हुए नियम 1997 के नियम 9 तथा 2007 के नियम 10 का संदर्भ लेना होगा। नियम 1997 के नियम 9 तथा 10 मे नियम प्रावधान है। 9

9— अनुशासन एवं नियंत्रणः— शिक्षाकर्मी, यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति, वृहद दण्ड के लिए तथा पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघु दण्ड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

10— सेवा समाप्तिः— ऐसे शिक्षाकर्मी की सेवा, जो स्थायी सेवा में नहीं है, किसी भी समय लिखित में एक माह का नोटिस देकर या शिक्षाकर्मी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षाकर्मी को एक माह का वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकेगी।''

10. उपर्युक्त प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि शिक्षाकर्मी, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे तथा जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति, यथास्थिति, वृहद दंड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगी तथा संबंधित पंचायत का मुख्य कार्यकारी प्रधिकारी लघु दंड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा। तथापि, 30.11.2007 से नियम 2007 लागू हो गए हैं, जिसमें नियम 10, 1997 की नियम 9 समरूप है।

नियम 2007 का नियम 10 इस प्रकार हैः—

''10. अनुशासन एवं नियंत्रण।— शिक्षाकर्मी, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति, जैसा भी मामला हो, वृहद दण्ड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा तथा संबंधित पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लघु दण्ड के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

11. इस प्रकार, उपर्युक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि जनपद पंचायत के नियमित कर्मचारी को वृहद दण्ड देने के लिए अुनशासनात्मक प्राधिकारी उक्त जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति होगी तथा लघु दंड देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त नियमों के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट पी—2 दिनांक 17.06.2005 के अनुसार नियुक्त किया गया था, किंतु परिशिष्ट पी—1 के अनुसार उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति है, जो कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी है, के आदेश के बिना ही केवल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 14.12.2010 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, चूंकि याचिकाकर्ता जनपद पंचायत का नियमित कर्मचारी था और शिक्षाकर्मी वर्ग—3 के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसकी सेवाएं केवल जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति द्वारा समाप्त की जा सकती थी और सीईओ के पास याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने की कोई शक्ति और अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उन्हें 1997 के नियम 9 और 2007 के नियम 10 द्वारा केवल मामूली दंड लगाने का अधिकार है। इस

प्रकार, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाला उत्तरवादी नं. 05 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार और विधिक अधिकार के बिना किया गया है।

13. उत्तरवादी प्रतिवादी क्र. 04 एवं 05 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि यह कोई वृहद दंड नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश अनुलग्नक पी–2 दिनांक 17.06.2005 निरस्त कर दिया गया है, इसलिए उत्तरवादी क्र. 05 याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिनांक 16.12.2010 पारित करने के लिए सक्षम था।

14. यह तर्क दो कारणों से खारिज किये जाने योग्य है, पहला, याची की नियुक्ति जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक स्थायी समिति की अनुशंसा पर 17.06.2005 को हुई थी और दूसरा, याची को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात 05.06.2010 के आदेश द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर नियमित किया गया था। इस प्रकार, शिक्षाकर्मी वर्ग– 3 के पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी की सेवाएं खासकर वृहद दंड के लिए विध के अनुसार विभागीय जांच किये बिना समाप्त नहीं की जा सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उत्तरवादी क्र. 05 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2010 अपास्त किये जाने योग्य है और अपास्त किया जाता है। याची शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर पूर्ण बकाया वेतन और भत्ते को छोडकर सभी परिणामिक लाभों के साथ पुनः नियुक्ति का हकदार है, पूर्ण बकाया वेतन और भत्ते के प्रश्न पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौलिक नियमों के नियम 54 के अनुसार इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर विचार किया जाएगा।

16. उपरोक्तानुसार सीमा तक रिट याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय पर कोई आदेश नहीं है।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**